

29⁰¹/₄ पत्रावली पेश हुई। मूल डाका अडम हाजरी अडम
पेखी में खारिज हो गया है इस कारण प्राचीन
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलाने जाने का कोई
आशय नहीं रहा। पत्रावली खारीज की गयी
है। डाकिल इफल हो मूल डाका के साथ
संलग्न रहे।


उपखण्ड अधिकारी, सुरजगढ़

